संख्या-138/2018/1381/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 18 मई 2018

विषय:- केन्द्रपुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत माता-पिता/अभिभावक की आय-सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-431/ स0क0/शिक्षा-01/103-स0सा0/2018-19, दिनांक-01.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-14.04.2018 को लखनऊ में की गयी घोषणा के अनुरूप प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपये-2.00 लाख से बढ़ाकर रूपये-2.50 लाख किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों के माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रूपये-2.00 लाख से बढ़ाकर रूपये-2.50 लाख किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

पृ0संख्या-138/2018/1381(1)/26-3-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
3-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
4-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5-गार्डफाइल।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।